

# उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:

12<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extension,

14- Ashok Marg, Lucknow- 226001

Phone: 0522-2287037

RAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :

12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

फोन: 0522-2287037

फैक्स नं० : 0522-2287701 वि.नं.-4653

संख्या-2639 / का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/2021-17(10)/2000 /वालयू-11

दिनांक: 06/09/2021

- 1- मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/(एम०पी०एस०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 2- महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- कम्पनी सचिव, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 5- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।

विषय: उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

सन्दर्भ संख्या: उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश संख्या 933-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2021-7-काविनी एवं वे०प्र०/21, दिनांक 28.08.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के आदेश संख्या 3289/का० एवं प्रशा०/जविनिलि/19-17(10)/2000 दिनांक 25.10.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमानों में निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा:-

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2021	मूल वेतन का 28 प्रतिशत

- 2- उपरोक्त बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-
  - I. दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17 प्रतिशत ही रहेगी।
  - II. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
  - III. मंहगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

- IV. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन कर्मचारियों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- V. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा, तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- VI. इस आदेश द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 अगस्त, 2021 (माह अगस्त 2021 का भुगतान माह सितम्बर, 2021 को देय) से नगद किया जायेगा। संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक देय अवशेष धनराशि का अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/ई0पी0एफ0 खाते में जमा की जायेगी और इसे दिनांक 31 जुलाई 2022 के पूर्व सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/ई0पी0एफ0 खाते से नहीं निकाला जा सकेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/ई0पी0एफ0 खाता न खुला हो उनको देय अवशेष की धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा।
- VII. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों, अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
- 3- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढी हुई मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार-पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

उपमहाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)

संख्या: /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/21-17(10)/2000/वाल्सू0-11, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- 3- लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- 4- कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

उपमहाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)